

## THE JHARKHAND GAZETTE

# EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 792

26 Shrawan, 1940(S)

Ranchi, Friday, 17th August, 2018

#### COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 16<sup>th</sup> August, 2018

**Notification No. -15/2018 – State Tax(Rate)** 

**S.O. No. 51 Dated. 17**<sup>th</sup> **August, 2018--**In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 43, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	Services supplied by	Individual Direct	A banking company or
	individual Direct	Selling Agents (DSAs)	a non-banking financial
	Selling Agents (DSAs)	other than a body	company, located in the
	other than a body	corporate, partnership	taxable territory.";
	corporate, partnership	or limited liability	
	or limited liability	partnership firm	
	partnership firm to bank		
	or non-banking		
	financial company		
	(NBFCs)		

- (ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -
  - '(g) "renting of immovable property" means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.'.
- 2. This notification shall come into force with effect from 27<sup>th</sup> July, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 05/ 2018] By the order of the Governor of Jharkhand,

**K. K. Khandelwal,** Additional Chief Secretary.

**Note:-** The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the  $29^{th}$  June, 2017, *vide* S.O. No. 43, dated the  $29^{th}$  June, 2017 and was last amended by notification No. 3/2018 - State Tax (Rate), dated the  $5^{th}$  March, 2018 *vide* S.O. No. 18, dated the  $5^{th}$  March, 2018.

-----

#### वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 16 अगस्त, 2018

### अधिसूचना सं॰. 15/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं॰- 51 दिनांक- 17 अगस्त, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

#### उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या	बॉडी कार्पोरेट,	ऐसी बैंकिंग कंपनी या
	लिमिटिड लायबिलिटी	पार्टनरशिप या	नॉन बैंकिंग
	पार्टनरशिप फर्म से भिन्न	लिमिटिड लायबिलिटी	फाइनेंशियल कंपनी जो
	वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग	पार्टनरशिप फर्म से	कि कर वाले भू-क्षेत्र
	एजेंट्स द्वारा बैंकों/नॉन बैंकिंग	भिन्न वैयक्तिक	में अवस्थित हो ।";
	फाइनेंशियल कं. (एनबीएफसी)	डायरेक्ट सेलिंग	
	को दी जाने वाली सेवाएं ।	एजेंट्स	

- (ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (च) के पश्चात निम्निलखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-
  - '(छ) "अचल संपत्ति को किराए पर देने" से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति को पूर्णतया या अंशतया उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमति देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमति देने से है, चाहे ऐसा उक्त

अचल संपितत के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना, लाइसैंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपितत से संबंधित हो, भी आता है।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/05/2018] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, अपर मुख्य सचिव ।

नोट : मूल अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 के रूप में एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2018- राज्य कर (दर) दिनांक 5 मार्च, 2018, एस. ओ. सं. 18, दिनांक 5 मार्च, 2018 के दवारा संशोधन किया गया है।

-----